कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 135/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 06.04.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 06.04.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस नोट
जनपद आजमगढ़

□ थाना रौनापार पुलिस द्वारा 03 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में लिए गए, एक फरार
□ 06 मोबाइल, 02 अवैध तमंचा, 02 कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल व नकदी बरामद
□ चोरी/लूट की घटनाओं का खुलासा, कई थानों में वारदात स्वीकार

➡ □दिनांक 05.04.2026 को थाना रौनापार क्षेत्र निवासी वादिनी द्वारा सूचना दी गई कि उनकी दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा बिस्किट, सिगरेट एवं लगभग 1300 रुपये नगद चोरी कर लिया गया है। उक्त सूचना के आधार पर थाना रौनापार पर मु0अ0सं0 84/2026 धारा 331(4)/305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

➡ □विवेचना के दौरान 04 बाल अपचारियों का नाम प्रकाश में आया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री चिराग जैन व क्षेत्राधिकारी सगड़ी श्री अनिल कुमार वर्म के पर्यवेक्षण में थाना रौनापार पुलिस टीम द्वारा दिनांक 06.04.2026 को प्रातः लगभग 04:10 बजे सरजू नदी पुल, बेलहिया ढाला के पास से 03 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, जबकि एक बाल अपचारी फरार है।

➡ □पुलिस अभिरक्षा में लिए गए बाल अपचारियों के कब्जे से 06 अदद मोबाइल फोन, 02 अदद नाजायज तमंचा .315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल तथा लूट/चोरी के 5100 रुपये नगद बरामद किए गए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/317(4) बीएनएस व 9/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

➡ □पूछताछ के दौरान बाल अपचारियों द्वारा थाना रौनापार, बिलरियागंज एवं अहरौला क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को स्वीकार किया गया है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा फरार बाल अपचारी की तलाश हेतु प्रयास जारी हैं।

➡ □पुलिस टीम में व0उ0नि0 राम अनुज शुक्ला, उ0नि0 शिवम मिश्रा, हे0का0 संतोष कुमार यादव, का0 अमरेश पासवान, का0 उपेन्द्र यादव, का0 अनिकेत शुक्ला एवं का0 जितेन्द्र प्रसाद थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ शामिल रहे।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 06.04.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन/मिशन शक्ति" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी करार देते हुए ***10 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।***

➡ थाना रानी की सराय पर पंजीकृत अभियोग जिसमें नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के ***आरोप मे 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।***

➡ दिनांक- 05.05.2016 को वादी मुकदमा ने लिखित तहरीर दिया था कि ***अभियुक्त पप्पू पुत्र जोखूराम निवासी लुचुई लाटघाट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ ने वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया तथा उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया।***

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना रानी की सराय पर मु0अ0सं0-71/2016 धारा-363,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 9 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में आज दिनांक-06.04.2026 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित ***अभियुक्त पप्पू पुत्र जोखूराम निवासी लुचुई लाटघाट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।***